राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.5 (8) नविवि /99 जयपुर दिनांक : 5.12.2001

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.08.2001 के द्वारा कृषि भूमि के नियमन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क/हस्तान्तरण शुल्क आदि की राशि नगर विकास न्यासों/जयपुर विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकायों द्वारा निजी निक्षेप खाते में जमा कराने के निर्देश दिये गये थे तथा सम्पूर्ण राशि में से 60 प्रतिशत राशि का उपयोग संबंधित संस्था द्वारा विकास कार्यों पर किये जाने के निर्देश दिये गये थे एवं शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के कोष में जमा कराने के निर्देश दिये गये थे।

इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय एवं वित्त विभाग से उनकी अन्तविभागीय क्रमांक 1207/वित्त/बी/2001 दिनांक 3.12.2001 से प्राप्त सहमति के उपरान्त यह निर्देश दिये जाते हैं कि विभिन्न नगर विकास न्यासों/जयपुर विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकायों को 30 नवम्बर 2001 तक प्राप्त राशि में से 60 प्रतिशत राशि सम्बन्धित संस्था द्वारा पांच बराबर किश्तों में (दिसम्बर 2001, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2002 तक) विकास कार्यों हेतु व्यय करने हेतु पी.डी.खाते से निकाल कर उसका उपयोग कर सकेंगे। इसके पश्चात् भविष्य में प्राप्त होने वाली नियमन राशि में से 60 प्रतिशत राशि सम्बन्धित संस्था द्वारा विकास कार्यों पर खर्च करने हेतु अलग खाते में रखी जा सकेगी तथा 40 प्रतिशत राशि नियमित रूप से इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.8.2001 में बताये गये मद में जमा कराई जावेगी।

आज्ञा से

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त नगर निगम।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने स्तर से समस्त नगर परिषद/नगर पालिका को सूचित करने की व्यवस्था करें।
8. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव